

प्रशासन अनुभाग

सं. मानू/प्रशासन/एफ.120/2023-24/202

दिनांक. 19.03.2024

कार्यालय आदेश

विषय- मानू प्रशासन- दिनांक: 01.01.2024 तत्काल प्रभाव से महँगाई भत्ते की संशोधित दरों पर भुगतान के संबंध में-आदेश जारी।

संदर्भ- 1. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन सं. 1/1/2024-ई.11(बी), दिनांक:12.03.2024

2. यूजीसी परिपत्र एफ.सं.एफ-67-3/2021(CU) दिनांक: 18.03.2024

3. दिनांक:19.03.2024 को कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित।

उपर्युक्त संदर्भ 1 में उद्धृत कार्यालय ज्ञापन तथा दूसरे(2) में उद्धृत यूजीसी के परिपत्र के अनुसरण में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत संशोधित वेतनमान के अनुसार वेतन आहरित कर रहे मानू के कर्मचारियों को महँगाई भत्ते के भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, जो विद्यमान 46% की दर दिनांक: 01.01.2024 से बढ़ाकर 50% कर दी गई है।

#आदेशानुसार#


प्रभारी कुलसचिव

वित्त अधिकारी (संदर्भ के अंतर्गत कार्यालय ज्ञापन की प्रति के साथ)

सभी अध्ययन संकायों के संकायाध्यक्ष

सभी विभागों/अनुभागों के विभागाध्यक्ष/प्रभारी (शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक)

सभी पॉलीटेकनीक, आईटीआई एवं मॉडल स्कूल

प्रति

1. कुलपति/कुलसचिव/वित्त अधिकारी/ ओएसडी-I/ओएसडी-II/ जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय
2. निदेशक डीडीई/ परीक्षा नियंत्रक
3. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
4. उर्दू अनुवाद हेतु उर्दू अधिकारी/ हिन्दी अनुवाद हेतु हिन्दी अधिकारी
5. संबंधित मिसिल